भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 827
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य उपलब्धता को स्थिर करने के उपाए

827. श्री बी. मणिक्कम टैगोर :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लगातार आपूर्ति-श्रृंखला की विफलताओं के कारण कीमतों में तेजी को देखते हुए देश भर में खाद्य उपलब्धता को स्थिर करने के लिए तत्काल उपाय लागू कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार बढ़ती खाद्य कीमतों को कम करने के लिए आपातकालीन मूल्य सीमा या सब्सिडी शुरू करेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण कच्चे माल को सूखे और बाढ़ जैसे जलवायु प्रभाव से बचा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या खाद्य प्रसंस्करण में श्रमिक की गंभीर कमी और बढ़ती उम्र वाले कार्यबल को दूर करने हेतु पर्याप्त कुशल श्रमिक सुनिश्चित करने के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए देश भर में खाद्य प्रसंस्करण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) सेक्टर और ब्लॉकचेन को बढ़ावा दे रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो वैश्विक मानक से पीछे रहने के क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, संपूर्ण खाद्य सुरक्षा की देखरेख करने तथा जमाखोरी और बेईमानीपूर्ण सट्टेबाजी को रोकने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी चेन वाले खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ता पर लागू गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी है। विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग की ज़रूरतें, स्टॉक सीमा और आवाजाही पर रोक हटाना (संशोधन) आदेश, 2025 को 27 मई 2025 को जारी किया गया था और यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू था।

गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने की लगातार कोशिशों के तहत, केंद्र सरकार ने 26 अगस्त 2025 को गेहूं की स्टॉक सीमा में संशोधन जो 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा, इस प्रकार किया है
:

इकाइयां	**गेहूं की संशोधित स्टॉक सीमा**
व्यापारी/ थोक विक्रेता	**2000 मीट्रिक टन** ;
फुटकर विक्रेता	प्रत्येक फुटकर विक्रेता के लिए **8 मीट्रिक टन**
बड़ी श्रृंखला फुटकर विक्रेता	प्रत्येक फुटकर विक्रेता के लिए **8 मीट्रिक टन,** हो अधिकतम मात्रा **(8 को** फुटकर विक्रेता की कुल संख्या से गुणा करके) मीट्रिक टन तक के अध्यधीन है । यह उनके सभी फुटकर विक्रेता और डिपो पर कुल मिलाकर रखा जा सकने वाला ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक होगा।
प्रसंस्करणकर्ता	मासिक संस्थापित क्षमता (एमआईसी) के **60%** को वित्त वर्ष 2025-26 के बचे हुए महीनों से गुणा किया गया

(ख): उपभोक्ता कार्य विभाग , देश भर में केंद्र की सहायता से राज्य सरकारों और केंद्र शासित राज्यों के प्रशासन द्वारा स्थापित 555 मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत 38 खाने की ज़रूरी चीज़ों की रोज़ाना की कीमतों पर नज़र रखता है । कीमतों और सांकेतिक मूल्य प्रवृत्ति की रोज़ाना रिपोर्ट का समुचित विश्लेषण किया जाता है ताकि बफर से स्टॉक जारी करने, स्टॉकधारी संस्थाओं द्वारा स्टॉक का प्रकटन, स्टॉक सीमा लागू करना, व्यापार नीति दस्तावेज में बदलाव जैसे आयात शुल्क को तर्कसंगत करना,आयात कोटा में बदलाव, वस्तु के निर्यात पर रोक वगैरह जैसे सही फैसले लिए जा सकें। अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) नियमित आधार पर कीमतों की स्थिति और ज़रूरी कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों और कीमतों की प्रवृत्ति की समीक्षा और विचार-विमर्श करती है और घरेलू उत्पादन बढ़ाकर और आयात के ज़रिए उपलब्धता बढ़ाने के उपाय सुझाती है।

इसके अतिरिक्त, समाज के कमज़ोर तबके के लिए अनाज की पहुँच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए , सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 1 जनवरी, 2024 से अगले पांच साल के लिए, लाभार्थियों की पात्रता (अर्थात एएवाई परिवार के लिए प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार के मामले में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न) के अनुसार इसके लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ़्त अनाज देने का फ़ैसला किया है।

(ग): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफएमबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक फ्लैगशिप योजना है, जिसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इसकाउद्देश्य किसानों को बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल के नुकसान से बचाना और फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

(घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) और उत्पाद विशिष्ट कौशल के लिए प्रशिक्षकों, जिला संसाधन व्यक्तियों,उद्यमियोंऔर विभिन्न अन्य समूहों के प्रशिक्षण में मदद करता है। अब तक, दिनांक 30.10.2025 तक पीएमएफएमई स्कीम के तहत देश भर में 1,26,353 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपने दो स्वायत्त संस्थानों अर्थात राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली , हरियाणा (निफ्टेम-के) और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, तंजावुर , तमिलनाडु (निफ्टेम-टी) के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बी.टेक , एम.टेक , पीएचडी इत्यादि जैसे शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से उच्च कुशल जनशक्ति की सुविधा भी प्रदान करता है।

(ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कृत्रिम मेधा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन को अपनाने सहित प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत अपनी आरएंडडी योजना के माध्यम से संबंधित मांग संचालित आरएंडडी परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) इकाइयों सहित शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को अनुदान सहायता प्रदान करता है।

योजना के अनुसंधान और विकास घटक के अंतर्गत, निजी क्षेत्र में निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं और सीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास इकाइयों को सामान्य क्षेत्रों में उपकरण लागत का 50% और दुर्गम क्षेत्रों में 70% तक अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और विभिन्न विश्वविद्यालयों, आईआईटी, केंद्रीय/राज्य सरकार के संस्थानों, सरकार द्वारा वित्त पोषित संगठनों को उत्पाद और प्रक्रिया विकास, उपकरणों के डिजाइन और विकास, बेहतर भंडारण, शेल्फ-लाइफ, पैकेजिंग इत्यादि के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मांग संचालित अनुसंधान और विकास कार्य को बढ़ावा देने और करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकारी संगठनों/संस्थाओं की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं उपकरणों की लागत, उपभोग्य सामग्रियों और रिसर्च फेलो इत्यादि से संबंधित व्यय के लिए 100% अनुदान सहायता के लिए पात्र हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) कुंडली और निफ्टेम, तंजावुर , जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं , भी इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में संलग्न हैं।

*****